संख्या-36/2018-1425/58-2018-135/2018

प्रेषक,

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक 01 जून,2018**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन की योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0-18.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-50/बजट/2018-19, दिनांक 18.05.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-108-07-उ0प्र0 आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन की योजना में 6 एक दिवसीय बायर सेलर मीट एवं आलू प्रदर्शनी के आयोजन हेतु धनराशि रू0-18.00 लाख आपके निर्वतन पर रखे जाने तथा अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक	**कोड सं0/मद का नाम**	**आय-व्ययक प्राविधान**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**
2401-फसल कृषि कर्म- 108-वाणिज्यिक फसलें- 07-उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन	20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	18.00	18.00
	27-सब्सिडी	16.00	0.00
योग-		**34.00**	**18.00**

(रूपये- अठठारह लाख मात्र)

1- मद सं0-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति 2014-के क्रियान्वयन हेतु 6 एक दिवसीय बायर सेलर मीट एवं आलू प्रदर्शनी के आयोजन मद पर ही नियमानुसार किया जायेगा। अन्य कार्यक्रमों/मदों पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। जिसके लिए निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/वित्त नियंत्रक निदेशालय उद्यान तथा सम्बन्धित हाफेड अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की पुर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375-दस/2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

4- अवमुक्त की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि का 60 प्रतिशत उपयोग हो जाने के उपरान्त अगली किश्त अवमुक्त की जायेगी।

5- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

6- धनराशि व्यय करने के पूर्व आवश्यकतानुसार भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का पालन पूर्णतया किया जायेगा।

7- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

8- अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व कार्य-योजना/प्रत्येक प्रस्तावित बायर सेलर मीट के कार्यक्रम के आयोजन से एक पक्ष पूर्व अवगत कराया जायेगा।

9- अप्रयुक्त धनराशि यथासमय शासन को समर्पित की जायेगी।

10- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

11- वित्त लेखा अनु0-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अत: सब्सिडी मद हेतु अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

12- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-07-उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375-दस/2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-36/2018-1425(1)/58-2018, तददिनांक :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।